



एक दिसंबर से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलनी शुरू हो जायेगी फिलहाल इन्हीं तीनों प्रमाणपत्रों के लिए यह व्यवस्था की गयी है इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने ' अधिकार ' सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, जिसे सभी प्रखंड और अंचलों में लांच कर दिया गया है

कैसे लेंगे ऑनलाइन सेवा का लाभ

लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया को गुरुवार से ऑनलाइन होना है इसका फायदा यह होगा कि जरूरतमंदों को आवेदन देने के लिए प्रखंड कार्यालय की खिड़की पर लंबी कतार में खड़े होने से मुक्ति मिल जायेगी जरूरतमंदों को करना यह होगा कि वह किसी भी साइबर कैफे या पंचायत स्तर पर खुले वसुधा केंद्र में जाकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन टाइप करना होगा इसके बाद जिस प्रमाणपत्र की जरूरत है, उसे टाइप करना होगा आवेदन में मोबाइल फोन नंबर भी डालना होगा आवेदन भेजने के बाद मोबाइल पर एसएमएस आयेगा जिसमें आइडी नंबर अंकित होगा इसके बाद अपना नाम व पता तथा प्रमाण पत्र का ब्योरा हिंदी व अंगरेजी में टाइप करना होगा इसके बाद आवेदन के प्रक्रियाधीन होने की सूचना एसएमएस से मिलेगी जो प्रमाणपत्र बनेगा, वह बार कोडेड होगा और उस पर आवेदन संख्या दर्ज रहेगी प्रमाणपत्र बनने की सूचना आपके मोबाइल पर मैसेज से मिलेगी जिस वक्त प्रमाण पत्र लेने जायेंगे उस वक्त चुनाव आयोग द्वारा घोषित दस्तावेजों में से किसी एक को ले जाना होगा, इसके बाद ही प्रमाणपत्र मिल सकता है एक दिसंबर से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलनी शुरू हो जायेगी फिलहाल इन्हीं तीनों प्रमाणपत्रों के लिए यह व्यवस्था की गयी है इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने ' अधिकार ' सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, जिसे सभी प्रखंड और अंचलों में लांच कर दिया गया है

कैसे लेंगे ऑनलाइन सेवा का लाभ

लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया को गुरुवार से ऑनलाइन होना है इसका फायदा यह होगा कि जरूरतमंदों को आवेदन देने के लिए प्रखंड कार्यालय की खिड़की पर लंबी कतार में खड़े होने से मुक्ति

मिल जायेगी जरूरतमंदों को करना यह होगा कि वह किसी भी साइबर कैफे या पंचायत स्तर पर खुले वसुधा केंद्र में जाकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन टाइप करना होगा इसके बाद जिस प्रमाणपत्र की जरूरत है, उसे टाइप करना होगा आवेदन में मोबाइल फोन नंबर भी डालना होगा आवेदन भेजने के बाद मोबाइल पर एसएमएस आयेगा जिसमें आइडी नंबर अंकित होगा इसके बाद अपना नाम व पता तथा प्रमाण पत्र का ब्योरा हिंदी व अंगरेजी में टाइप करना होगा इसके बाद आवेदन के प्रक्रियाधीन होने की सूचना एसएमएस से मिलेगी जो प्रमाणपत्र बनेगा, वह बार कोडेड होगा और उस पर आवेदन संख्या दर्ज रहेगी प्रमाणपत्र बनने की सूचना आपके मोबाइल पर मैसेज से मिलेगी जिस वक्त प्रमाण पत्र लेने जायेंगे उस वक्त चुनाव आयोग द्वारा घोषित दस्तावेजों में से किसी एक को ले जाना होगा, इसके बाद ही प्रमाणपत्र मिल सकता है।